JAGANNATH UNIVERSITY

दिनांकः दिसम्बर 10, 2021

कार्यालय आदेश (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ)

कोरोना के पुनः बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर गृह विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमाकः प. 7 (1) गृह – 7/2021 दिनांक 26 नवम्बर, 2021 में विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को निम्नलिखित दिशा–निर्देश का पालन करना अतिआवश्यक है। जागरूक होकर तथा केन्द्र व राज्य सरकार के समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना कर ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं।

दिशा निर्देश :–

1. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणित स्टाफ विश्वविद्यालय में आने के 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक (1st & 2nd dose) अनिवार्य रूप से लेना सुनिश्चित करें।
2. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणित स्टाफ विश्वविद्यालय में आवागमन हेतु संचालित बस/कैब/ऑटो इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता अनुसार ही बैठें।
3. विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ अध्यापन की अवधि के दौरान तथा आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य रूप से सुनिशिचित करें।
4. विश्वविद्यालय के सभी संकाय के अधिष्ठाता सभी विद्यार्थियों को संस्थान में आने से पूर्व अपने माता–पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना सुनिश्चित करें। जो माता–पिता/अभिभावक अपने बच्चों की ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर उपस्थिति हेतु कोई दबाव नहीं बनाया जाये तथा उन विद्यार्थियों के लिये ऑनलाईन अध्ययन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
5. विश्वविद्यालयों के समस्त स्टॉफ विश्वविद्यालय में प्रवेश पूर्व स्क्रीनिंग करा कर ही प्रवेश करना सुनिश्चित करें।
6. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के दौरान समस्त संकाय के अधिष्ठाता कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार करे कि प्रत्येक विद्यार्थियों के मध्य कम–से–कम दो गज की दूरी सुनिश्चित हो।
7. विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में प्रार्थना सभा (Assembly) तथा भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित न करना सुनिश्चित करें।
8. विश्वविद्यालय के समस्त स्टॉफ संस्थान में किसी भी स्थान पर अनावश्यक रूप से एक साथ एकत्रित न हो।
9. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेश तक बंद रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
10. विश्वविद्यालय परिसर में प्रत्येक फ्लोर पर स्थित क्लासरूम तथा फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी वस्तुओं जैसे रेलिंग्स, डोर, हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित करें एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह हो।
11. विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता अपने विभागों के उपकरण व स्टेशनरी को सेनेटाईज कराना सुनिश्चित करे।
12. छात्रावास अधीक्षक बाहर से आने वाले विद्यार्थियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं व रिपोर्ट आने तक विद्यार्थी को क्वारटीन करें।
13. विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाये।
14. समस्त स्टाफ को स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को देनी अनिवार्य होगी।
15. समस्त स्टाफ समय–समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें।

(Dr. Mayank Mathur)
Dy. Registrar

Copy to :

1. PS to Hon'ble Chairman
2. PA to Hon'ble President
3. Director, IQAC
4. Registrar
5. All the staff through e-mail